न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
अपील सं0 116/2022

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।
2. सुबध कंवर पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।
3. रिशाल कंवर पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।
4. नत्थूसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल हाल चक 8 डीडब्ल्यूडी खाजूवाला।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :— दिनांक :— 06.02.2023

यह अपील अपीलांट न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुई। अपील से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि अपीलांट्स के पिता नारायणसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवादताल तहसील चुरु को दिनांक 29.03.1976 को तहसील खाजूवाला का चक नं0 8 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 89/21 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी। जिसका कब्जा दिनांक 29.05.1976 को प्राप्त कर लिया था । उक्त भूमि आवंटन के बाद अपीलांट के पिता चक 8 डीडब्ल्युडी में आकर रहने लगे तथा भूमि सुधार कर कड़ी मेहनत व खर्चा कर भूमि काबिल काश्त बनाई तथा फिर 4. 2.2001 को अपीलांट्स के पिता का स्वर्गवास हो गया। जिसकारण उक्त भूमि विरासतन नामान्तरण मुताबिक वारिसनामा ग्राम पंचायत 2 केएलडी (0) दिनांक 20.04.2001 इंतकाल संख्या 72 दर्ज किया गया था। उक्त इंतकाल अपीलांट्स व अपीलांट्स की माता गुलाब कंवर के नाम से दर्ज किया जाना था जो कि गलत व खिलाफ रिकॉर्ड भरा गया जो कि काबिल खारजी है। जिसे अपीलांट्स निरस्त करवाने के विद्यिक अधिकारी है। उक्त अपीलाधीन इंतकाल सं0 72 भरते समय हल्का पटवारी ने वारिसान सुबध कंवर व रिशाल कंवर के नाम ही दर्ज किये तथा अपीलांट्स की माता का नाम गुलाब कंवर की गुलाब कौर दर्ज किया जो कि सरासर गलत, मनमर्जी से, खिलाफ सबूत व रिकॉर्ड होने से काबिल खारजी है। अपीलांट्स की माता गुलाबकंवर का स्वर्गवास दिनांक 12.06.2013 को गया है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरणकरण सं0 72 दिनांक 04.04.2005 जिससे अपीलांट की भूमि चक 8 डीडब्ल्युडी मु0नं0 89/21 कुल 24.10 बीघा भूमि निरस्त कर मृतक नारायणसिंह व गुलाबकंवर के वारिसान अपीलांट के नाम नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सर्व प्रथम अपील अपीलांट्स दर्ज रजि0 की गई। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट ली गई उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 8 डीडब्ल्युडी ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खाता सं0 9 प्रार्थीया गुलाबकौर पत्नी नारायणसिंह हिस्सा 1/3 , नत्थूसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/3, राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/3 खातेदारी निवासी 8 डीडब्ल्युडी खाजूवाला खातेदार मु0नं0 89/21 किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 कमाण्ड दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 खाता सं0 9 प्रार्थीया गुलाबकौर पत्नी नारायणसिंह, नत्थूसिंह, राजेन्द्रसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी 8 डीडब्ल्युडी तहः खाजूवाला ब0हि0ब0 खातेदार मु0नं0 89/21 किला नं0 1 ता 25 कुल 24.10 बीघा कमाण्ड अंकन दर्ज है। उपनिवेशन ना0सं0 72 दिनांक 04.04.05 के द्वारा विरासतन प्रार्थीया गुलाबकौर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी 8 डीडब्ल्युडी खाजूवाला ब0हि0ब0 खातदेारी मु0नं0 89/21 किला नं0 1 ता 25 कुल 24.10 कमाण्ड दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत 2 केएलडी क्रमांक प्रःअ0आर/वारिस/10 दिनांक 26.04/14 जारी वारिसप्रमाण में गुलाबकौर पत्नी नत्थूसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह पुत्र के नाम से जारी है। बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात (इंतकाल सं0 72, मृत्यु प्रमाणपत्र नारायणसिंह व गुलाबकंवर, वारिस प्रमाणपत्र ग्रा0पं0 2 केएलडी , वारिस प्रमाणपत्र गुलाब कंवर सरपंच कोटवादताल, वारिस तस्दीकपत्र क्र0 5529 तहसीलदार खाजूवाला मय जांच पटवारी हल्का कोटवादताल चुरु मय पृष्ठांकन तहसीलदार चुरु क्र0 2980 दिनांक 18. 12.2020 की छायाप्रतियां) अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि चक 8 डीडब्ल्युडी मु0नं0 89/21 कुल 24.10 बीघा भूमि के अपीलाधीन नामान्तरणकरण 72 दिनांक 04.04.2005 निरस्त कर, उक्त इंतकाल में दर्ज नाम गुलाबकौर की जगह गुलाबकंवर उर्फ गुलाबकौर दर्ज करना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है व इन्तकाल सं0 72 दिनांक 04.04.2005 निरस्त कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि जांचकर पुनः इन्तकाल दर्ज करें जिसमें इंतकाल सं0 72 में दर्ज नाम गुलाबकौर की जगह गुलाबकंवर उर्फ गुलाबकौर दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक ....2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)